

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई 2014—आषाढ़ 13, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र. 11904-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 10, सन् 2014) जो विधान सभा में दिनांक 4 जुलाई, 2014 को पुरस्थापित हुआ है, जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

भगवानदेव इंसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०१४

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१४.

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है।
 (२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा २३ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

कार्य परिषद्

“२३. (१) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- (एक) कुलपति—अध्यक्ष;
- (दो) कुलसचिव—सदस्य सचिव;
- (तीन) कुलाधिपति द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के लिए ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित चार संकायाध्यक्ष;
- (चार) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्रों के दो आचार्य जो कुलाधिपति द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के लिए ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे;
- (पांच) संबद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य, जिनमें से कम से कम दो प्राचार्य उन महाविद्यालयों में से होंगे जो राज्य सरकार के हों, राज्य सरकार द्वारा, प्रत्येक दो वर्ष के लिए ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से नामनिर्देशित किए जाएंगे;
- (छह) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो;
- (सात) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो;
- (आठ) आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसका नामनिर्देशिती जो अतिरिक्त संचालक के पद से निम्न पद का न हो;
- (नौ) उस संभाग का जहां विश्वविद्यालय अवस्थित है संभागीय आयुक्त या उसका नामनिर्देशिती जो अपर कलक्टर के पद से निम्न पद का न हो;

(दस) उस जोन का, जिसमें कि विश्वविद्यालय अवस्थित है, पुलिस महानीक्षक या उसका नामनिर्देशिती जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से निम्न पद का न हो;

(ग्यारह) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित चार शिक्षाविद्, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो, जो कम से कम स्नातक हों और किसी राजनीतिक दल के सदस्य न हों, जिनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग में से प्रत्येक का एक-एक व्यक्ति होगा, इन चार व्यक्तियों में से कम से कम दो महिलाएं होंगी;

(बारह) यथास्थिति विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक.

(२) कार्य परिषद् के वे सदस्य, जो पदेन सदस्यों से भिन्न हों, दो वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे।

(३) कार्य परिषद् के पचास प्रतिशत सदस्यों से, जिनमें कि कुलपति एवं कुल सचिव आवश्यक रूप से सम्मिलित होंगे, गणपूर्ति होगी :

परन्तु किसी स्थगित सम्मिलन के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी.”.

३. मूल अधिनियम की धारा ४९ में, उपधारा (२), (३), (४) तथा (५) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं धारा ४९ का संशोधन.

“(२) चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे,—

(एक) कुलपति—अध्यक्ष;

(दो) कुलसचिव—सचिव;

(तीन) विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तुत किए गए चार विषय विशेषज्ञों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ, जो किसी भी रीति में, चाहे वह कुछ भी हों, विश्वविद्यालय से संसक्त न हों;

(चार) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विषय विशेषज्ञ, जो किसी भी रीति में, चाहे वह कुछ भी हो, विश्वविद्यालय से संसक्त न हो, इन प्रवर्गों से कोई विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की दशा में, शासन के सचिव की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक प्रशासनिक अधिकारी, जो आरक्षित प्रवर्ग का हो, नामनिर्देशित किया जाएगा।

(३) चयन समिति के चार सदस्यों से, जिनमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है, गणपूर्ति होगी, परन्तु कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का होना चाहिए तथा कुल सचिव सम्मिलन में सचिव के रूप में उपस्थित रहेगा।

(४) समिति, विभिन्न अभ्यर्थियों के गुणागुण का अन्वेषण करेगी और उन व्यक्तियों के नामों की, योग्यता के क्रम में, यदि कोई हों, जिन्हें वह पदों के लिए उपयुक्त समझे, कार्य परिषद् को सिफारिश करेगी।

(५) कार्य परिषद्, उप-धारा (४) के अधीन इस प्रकार सिफारिश किए गए नामों में से योग्यता के क्रम में व्यक्तियों को नियुक्त करेगी.”.

धारा ४९-ख का
अंतःस्थापन.
निदेश देने की राज्य
सरकार की शक्ति.

४. मूल अधिनियम की धारा ४९-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—
- “४९-ख(१) धारा ४९ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय को लोक सेवा आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों को नियुक्त करने का निदेश दे सकेगी।
- (२) धारा २४ के खण्ड (बत्तीस) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल या उसी के समान किसी शासकीय अभिकरण के माध्यम से चयन द्वारा तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में नियुक्त करने के लिए भी विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगी।
- (३) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे कि रिक्तियों के कारण या राज्य सरकार को सूचित किए गए किसी अन्य कारण से विश्वविद्यालय में दिन प्रतिदिन का कार्य सम्पन्न नहीं हो पा रहा है, तो राज्य सरकार को विश्वविद्यालय के समुचित कार्यकरण के लिए शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों को एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित करने या शिक्षकों या कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर भेजने की शक्ति होगी।
- (४) इस धारा के अधीन दिए गए निदेशों को लागू करना विश्वविद्यालय के लिए बाध्यकारी होगा.”।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) राज्य में विश्वविद्यालयों के संगठन और प्रशासन के लिए पिछले चालीस वर्षों से प्रवृत्त है।

२. यह जानकारी में आया है कि विश्वविद्यालय, शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में संतोषप्रद रूप से कृत्यों का पालन नहीं कर रहे हैं।

३. विश्वविद्यालयों के सुचारू संचालन तथा समुचित कार्यकरण के लिए यह प्रस्तावित है कि राज्य सरकार को, समुचित निदेश देने के लिए सशक्त किया जाए, अतएव, आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख ३ जून, २०१४.

उमाशंकर गुप्ता

भारसाधक सदस्य।

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१४ के खण्ड ४ के उपखण्ड (१), (२) एवं (३) द्वारा राज्य सरकार को लोक सेवा आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को नियुक्त करने एवं मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल या उसी के समान किसी शासकीय अभिकरण के माध्यम से चयन द्वारा तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में नियुक्ति करने के निदेश देने के साथ ही विश्वविद्यालयों के समुचित कार्यकरण के लिए शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों को एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित करने या प्रतिनियुक्ति पर भेजने संबंधी विधायिनी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप के होंगे।

भगवान्देव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।